भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 719
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलटों के लिए विश्राम समय

719. डॉ. के. सुधाकर:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वाणज्यिकि पायलटों के लिए पर्याप्त विश्राम समय उपलब्ध कराया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में वाणजिये क पायलटों के विश्राम समय के संबंध में सभी अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वि शेषकर एयर इंडिया-171 दुर्घटना के आलोक में, देश में संचालित बोइंग और अन्य विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में पिछले पाँच वर्षों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल), पर नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खण्ड 7, सीरीज जे, भाग III प्रख्यापित की हैं, जिनमें मुख्यत: तनाव और थकान की समस्या से निपटने के लिए पायलटों की न्यूनतम और/अधिकतम विश्राम/अधिकतम ड्यूटी अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, पायलटों के तनाव और थकान को कम करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने दिनांक 26.03.2024 के सीएआर खण्ड 7 सीरीज जे पार्ट III आरईवी 2 के तहत पायलटों के लिए एफडीटीएल संबंधी नियमों को अद्यतन किया है।

(ग) और (घ): नागर विमानन महानिदेशालय के पास विमानों के सुरक्षित परिचालन और रखरखाव के लिए व्यापक और संरचित नागर विमानन विनियम हैं। इन नियमों को लगातार अद्यतन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)/यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय के पास एक संरचित निगरानी और संपरीक्षा फ्रेमवर्क भी है, अर्थात संगठन/विमान की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की निरंतर निगरानी सहित सभी प्रचालकों के नियमित और आवधिक ऑडिट, औचक जांच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं।

******